and final decision. There is no proposal under consideration of this Ministry regarding delegation of powers to state Government wherein forest land is less than 50 ha. and is required specifically for public prupose namely hospitals, school buildings, laying of pipelines, transmission lines, telephone lines etc. as the guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980 have been simplified.

Allegations Against the Managing Director of State farms Corporation of India

3268. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any communication from the Members of Parliament containing serious allegations against the Managing Director of the State Farms Corporation of India, and if so, the details thereof; and

(b) whether any action has been taken thereon and if so, the details thereof; and

(c) whether Government have decided to refer the case to the CBI, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir. Three Members of Parliament S/Shri Gopal K. Tandel, Shri Shibu Soren and Shri Anant D. Dave have forwarded a petition by Shri Raj Singh, President, State Farms Corporation of India Employees Union against the Managing Director, State Farms Corporation of India alleging irregularities.

(b) The complaints have been referred to a senior officer of the Department of Agriculture and Cooperation for preliminary varification.

(c) No, Sir. Since the allegations are still under varification with reference to relevant records the question of further investigation by the CBI does not arise at this stage.

Crop Insurance Claims of the Farmers of West Godavari District

3269. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether crop insurance claims of West Godavari district, Andhra Pradesh made in 1995 have been settled;

(b) if so, the amount released under this account to the farmers; and

(c) the amount released to Nidamarru Mandal as crop insurance claim?

THE MINISTER OF AGRICLTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) Yes, Sir. A sum of Rs. 6,01,35,276.67 has been approved by Government of India for release to the farmers of West Godavai district of Andhra Pradesh for Kharif 1995 season. Out of these claims, a sum of Rs. 1,40,63,772.28 has been approved for release to Nidamarru Mandal.

"उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक नगरी की स्थापना'

3270. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खुर्जा में प्लास्टिक नगरी स्थापित करने के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित कानून के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों से निकलने वाले कचरे तथा गंदे पानी से संबद्ध क्षेत्र के आस-पास के वातावरण तथा पेयजल स्त्रोतों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा;

(घ) इसके निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) क्या स्थानीय लोगों ने इस योजना के प्रारंभ के बाद इन उद्योगों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रदूषण के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैएन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से कारखानों को हटाया जाना

3271. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "168 कारखानों को दिल्ली से हटाने का निर्देश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो इन कारखानों के नाम क्या-क्या है;

(ख) देश में ऐसे कितने गैर सरकारी कारखानें चल रहे हैं जिनसे प्रदूषण फैलने की आशंका है और क्या सरकार ने ऐसे कारखानों का पता लगा लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि पर्यावरण की संरक्षा हेतु दिल्ली से हटाए जाने वाले ऐसे 168 कारखानों के लिए उचित स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैएन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां। इन कारखानों के नाम विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिये)**

(ख) सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों परामर्श से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 श्रेणियों से बड़े और मझौले सेक्टर में उन 1551 इकाइयों की पहचान की हैं जिन पर निर्धारित बहिस्रावों और उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से निजी सेक्टर में 69 इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है।

(ग) और (घ): जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर उपलब्ध खाली प्लाटों की पहचान की है जिन्हें कि उनको आबंटित किया जा सकता है जो शिफ्ट होना चाहते हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
उत्तर प्रदेश	2700
राजस्थान	
(क) अधिग्रहित	916
(ख) अधिग्रहण के अन्तर्गत भूमि	9210

विवरण

1. कृष्णा केमिकल्स, 3491, गली नं० 1, नारंग कालोनी, त्रिनगर, दिल्ली—35
2. दिल्ली स्टोन क्रसिंग कं० रजोकरी, नई दिल्ली—38
3. न्यू कालकाजी स्टोन क्रसिंग, के० नं० 1229, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
4. टी० आर० सेठी और सन्स. रजोकड़ी नई दिल्ली—38
5. अहुजा स्टोन क्रसिंग कं० 1234/9, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
6. राज स्टोन क्रसिंग कं० नं० 1249, रजोकरी, नई दिल्ली—38
7. लक्की स्टोन इन्टरप्राइजेज, प्लाट पी नं० 1, लूथरा फार्म्स, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
8. लक्ष्मी स्टोन क्रसिंग कं०, के० नं० 1620, वी० पी० राजोकर, नई दिल्ली—38
9. पी एस सचदेवा एण्ड कं० खसरा नं० 1237, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
10. राज ग्रीट उद्योग, खसरा नं० 1249, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
11. डी पी शर्मा एण्ड कं०, खसरा नं० 1238, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
12. जगदीश स्टोन, रजोकड़ी नई दिल्ली—110038
13. नीलम स्टोन क्रसिंग, कं०. खसरा नं० 1161, 1162, गांव व डाकखाना, रजोकड़ी, नं० दि०—38
14. भागीरथी स्टोन क्रशिंग कं०, खसरा नं० 1234/8, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
15. आशा स्टोन क्रशिंग कं०, खसरा नं० 1251, रजोकड़ी, नई दिल्ली—38
16. ग्लेज्शीपेंट्स, शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली—42
17. अम्बा प्लॉटरीज एण्ड रिफैक्ट्रीज, पो० औ० गुड़गांव रोड, नई दिल्ली—37